न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 70 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

दूल्हासिंह चुण्डावत पिता स्वर्गीय चतरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रामसिंह चुण्डावत पिता स्वर्गीय चतरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवेन्द्रसिंह चुण्डावत पिता स्वर्गीय चतरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 30.04.2018, प्र.सं. 345 / 12

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री दूल्हासिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अरूण व्यास अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1
3– श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

———::———

निर्णय **दिनांक 18–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सहोदर भाई होकर स्वर्गीय चतरसिंह जी के पुत्र हैं। चतरसिंह जी का देहान्त दिनांक 12–08–2006 को हो चुका है, जिनके खाते एवं स्वामित्व की आराजियात क्रमशः ग्राम सोलरा कला व शोभजी का खेड़ा में स्थित हैं। वाद पत्र की कलम 2 (ए) की ''अ'' व ''ब'' की आराजियात मौजा सालेराकला में स्थित हैं तथा कलम 2 (बी) की ''क'', ''ख'', ''ग'' व ''घ'' की आराजियात मौजा शोभजी का खेड़ा में स्थित हैं। उक्त आराजियात

पारिवारिक समझौता की याददाश्ती दिनांक 09–09–19990 के पूर्व 1986 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आग्रह पर चतरसिंह जी ने संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से पारिवारिक विभाजन कर दिया, तब से पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर आयी भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी ने अपने हिस्से में आयी भूमि पर लाखों रूपये खर्च कर विकसित किया। पारिवारिक समझौते की मूल कापी प्रतिवादी संख्या 1 के पास है। प्रतिवादीगण ने उक्त समझौते की बिल्कुल भी पालना नहीं की है एवं माता–पिता के भरण–पोषण के लिए कुछ भी नहीं दिया एवं वादी ने ही उनकी सेवा की। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा सलेराकला वाली जमीन का जो हिस्सा तय हुआ था, उसे संलग्न नक्शे में अलग रंग से दिखा रखा है। वादी के हिस्से को नारंगी रंग से, जबकि पेन्सिल रंग का भाग प्रतिवादी संख्या 2 का व आसमानी रंग वाला भाग प्रतिवादी संख्या 1 का है। पक्षकारान के रिहायसी भाग आराजी नंबर 1268 पर जाने के लिए रास्ता आराजी नंबर 1258 से गुजरता हुआ आराजी नंबर 1263 व 1933/1272 आम रास्ता बना हुआ है, जो संलग्न नक्शे में सुर्ख लाल रंग से दिखा रखा है। गांव शोभजी का खेड़ा में वादी के हिस्से में आया भाग जो लीरा नाम से जाना जाता है, उसके आराजी नंबर 167 होकर एक बीघा 17 बिस्वा है। शोभजी का खेड़ा की शेष आराजियात प्रतिवादीगण के हिस्से में होकर प्रतिवादीगण काबिज हैं। प्रतिवादीगण झगडालु किस्म के व्यक्ति होकर वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा डालते हैं। निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा दिलायी जावे कि वादी पारिवारिक समझौते अनुसार वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें में वादी के हिस्से में आयी तमाम आराजियात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अन्य विधिक सहायत दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाद पत्र में कपोल कल्पित बंटवारा होना दर्शाया है, जिसकी जानकारी प्रतिवादी अथवा अन्य खातेदारान को कभी नहीं रही। राजस्व रेकार्ड में भूमियां स्पष्ट रूप से अविभाजित होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा अन्य रेकार्डेड खातेदारों के अधिकारों का हनन करते हुए उक्त वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि के सहखातेदार हैं,

जिसके विरूद्ध कानूनन धारा 188 का वाद पोषणीय ही नहीं है। वादी ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी की ओर से संस्थित विभाजन का वाद आप न्यायालय में लम्बित है, जिसमें वादी स्वयं पक्षकार होकर प्रतिवादी है, तद्नुसार वादी का वाद विधि विरूद्ध होकर इसी स्तर पर खारिज योग्य है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से भी आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के सहखातेदार होकर वादग्रस्त भूमियों का विधिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है, कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध धारा 188 का वाद लाई नहीं होता है। वादी ने महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में वादी की ओर से उक्त आवेदनों के खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पूर्व में पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवाड़ा हो चुकी है, जिसकी याददाश्ती दिनांक 09–09–1990 को लिखी गयी है, जिस पर सभी सदस्यगण के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। वादकरण उत्पन्न साक्ष्य का विषय होने से इसे आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उक्त आवेदन के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें यह अंकित किया कि स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार भूमियों का कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा जमाबन्दी में अंकित सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, न ही उन्हें वाद की जानकारी ही होने दी। वादी वर्तमान राजस्व रेकार्ड के खातेदारान के विरूद्ध उनके परोक्ष में वाद पत्र प्रस्तुत करके उनके हक अधिकारों को समाप्त करना चाहता है, जो कतई संभव नहीं है तथा कानूनन सहखातेदारों के विरूद्ध धारा 188 का वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी की ओर से संस्थित विभाजन का वाद आप न्यायालय में लम्बित है, जिसमें वादी स्वयं पक्षकार होकर प्रतिवादी है। वादी का वाद विधि विरूद्ध होकर इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 30–04–2018 से उक्त आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्ध विरूद्ध मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

नकल दिये जाने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री अजय सिंह हाड़ा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह आदेश 7 नियम 11 जा.दी के तहत आवेदन को स्वीकार कर की है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों से परे किये गये कथनों के आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। पक्षकारान के मध्य जो मौखिक बंटवारा दिनांक 09–09–1990 को हुआ है उसमें सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है, जिस पर साक्ष्य ली जकार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना वाद बिन्दु बनाये एवं बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है। वादी का वाद किसी भी तरह से बार्ड बाई लॉ नहीं था, न ही उक्त प्रकरण में रेस ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, यदि हो तो भी पश्चातवर्ती वाद स्थगित किया जा सकता है, न कि खारिज। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये यह कहना कि सम्पत्ति अविभाजित होने से सहखातेदारान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है, जबकि वाद पत्र पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति का विभाजन होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि वादी/अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमियां चतरसिंह जी के समय की होना तथा उसके तीन पुत्र वादी व प्रतिवादीगण बताते हुए पूर्व में दिनांक 09–09–1990 को मौखिक बंटवारा होना बताते हुए पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज होने के कारण सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। प्रकरण में पेश शुदा जमाबदिन्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां चतरसिंह जी की होकर उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों वादी व प्रतिवादीगण तथा पुत्रियां धन कुंवर, नवल कुंवर, केसर कुंवर, प्रताप कुंवर, सरोज कुंवर व पत्नी केसर कुंवर के नाम दर्ज हुई हैं। इन भूमियों में से 4 बहनों धन कुंवर, नवल कुंवर, केसर कुंवर, व सरोज कुंवर द्वारा अपना 4/9 हिस्सा प्रतिवादी के पक्ष में हक त्याग किया गया है। प्रकरण में वादी स्वयं यह कहकर आता है कि विवादित भूमियां चतरसिंह जी के समय की हैं तथा चतरसिंह ने लिखित बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के सहमति से किया है। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि चतरसिंह की विरासत में उनकी पुत्रियां भी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज हैं, जबकि वादी/अपीलान्ट द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। वस्तुतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद भूमिधारी की सहमति से लगान का विभाजन होकर विधिक विभाजन होता है, इससे पूर्व पक्षकारान के मध्य यदि कोई सहमति विभाजन हुआ है तो वह विभाजन उस समय सहायक दस्तावेज के रूप में हो सकता है, परन्तु पक्षकारों के आपसी सहमति विभाजन को विधित विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद नहीं माना जा सकता तथा सहखातेदारी की भूमि को एकल स्वत्व की नहीं मानकर सभी सहखातेदारों की सम्पत्ति माना जाता है।

प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादी ने राजस्व रेकार्ड के विपरीत चतरसिंह की पुत्रियों को पक्षकान नहीं बनाया है, जबकि वे राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज हैं। यदि वादी सहखातेदारी की भूमियों को स्वयं की व प्रतिवादीगण की होना मानता है तो भी उन्हें सभी सहखातेदारों को बिना सूचित किये एवं बिना पक्षकार बनाये उनके परोक्ष में सहमति के आधार पर भूमियों का तीनों भाई (वादी व प्रतिवादीगण) के मध्य

आपसी विभाजन होना नहीं माना जा सकता। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में व्यक्त स्थिति है कि वादी का वाद हेतुक नहीं होने से तथा वाद विधि विरूद्ध होने से वाद खारिज किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि वादी/अपीलान्ट द्वारा सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है अर्थात सहखातेदारी की भूमियों में अपने आपसी विभाजन जो कि विधिक विभाजन नहीं है, उसके आधार पर अविभाजित विशिष्ठ भूमियों में अपना स्वत्व मानते हुए सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है, परन्तु वह विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं करता है, तो क्या स्थाई निषेधाज्ञा सहखातेदारों के विरूद्ध अनन्तकाल तक देय होगी, कदापि नहीं ? क्योंकि यदि कोई सहखातेदार किसी अन्य सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कतिपय आराजियात को अपनी बताकर करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह विभाजन का वाद भी प्रस्तुत करे। इस प्रकरण में तो आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वादी/अपीलान्ट प्रतिवादी होकर उसके द्वारा काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में एक अन्य स्थिति सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा निषेधाज्ञा के वाद में अन्य सहखातेदार अपने बहनों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा घोषणा के स्थान पर लेखन चातुर्य से उनके अधिकारों को आपसी विभाजन से प्राप्त भूमियों से उनका नाम हटाना चाहता है। हम इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट रूप से पाते हैं कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद तब तक नहीं चल सकता, जब तक कि विभाजन की राहत नहीं चाही गयी हो। इस प्रकरण में वादी/अपीलान्ट विधि के विरूद्ध बिना विधिक विभाजन कराये कतिपय सहखातेदारी की भूमियों को अपनी मानकर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध है एवं वादी का वाद स्वच्छ हाथों से आया हुआ नहीं कहा जा सकता। प्रकरण में चतरसिंह की पुत्रियां जब रेकार्ड सहखातेदार हैं तो उनके द्वारा किये गये हक त्याग को मान्य नहीं भी दी जाये तो भी उसको सहखातेदार नहीं माने जाने का कोई आधार नहीं है। वादी/अपीलान्ट द्वारा सहखातेदार बहनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो निसंदेह सद्भावरी कृत्य नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में सहखातेदारों के मध्य पेश किये गये बिना विधिक विभाजन के अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता, जैसाकि माननीय राजस्व मण्डल ने अनेकानेक निर्णयों में वर्णित किया है। हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा हमारे समक्ष पेश शुदा न्यायिक नजीरों के अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर. टी. 2009 (1) पेज 204, जो कि मयाद से संबंधित है, जिसका इस प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 260 धारा 144 व 151 सी.पी.सी. से संबंधित है, जिसका इस प्रकरण से किसी प्रकार से सरोकार नहीं है।

वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 282 धारा 11 रेसज्यूडीकेटा से संबंधित है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज नहीं किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट किया गया है कि वादी/अपीलान्ट द्वारा वाद की बहुलता हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि पूर्व से विभाजन का वाद लम्बित है तथा उसमें वादी ने काउण्टर क्लेम भी पेश कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद धारा 11 रेसज्यूडीकेटा के आधार पर खारिज नहीं किया है। अतएवं यह नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 2008 पेज 474 व आर.बी.जे. (18) 2011 पेज 225 प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हक त्याग से संबंधित प्रावधान नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में हक त्याग की मान्यता का विनिश्चियन नहीं किया गया है तथा हक त्याग नहीं भी माना जाये तो भी बहने सहखातेदार हैं तथा उसमें से एक बहन द्वारा हक त्याग भी नहीं किया गया है। अतएवं यह नजीरें इस प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर 2010 डी.एन.जे. सुप्रिम कोर्ट पेज 208 व ए.आई.आर. 1976 सुप्रिम कोर्ट पेज 807 प्रस्तुत की गयी हैं, जो आपसी विभाजन का पंजीकृत नहीं होने से संबंधित हैं। यहां पर आपसी

विभाजन के पंजीकृत होने अथवा नहीं होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि काश्तकारी कानून जो कि विशिष्ट कानूनन है, उसमें विभाजन तहसीलदार भूमिधारी की सहमति से लगान का विभाजन होने पर ही विधिक विभाजन माना जाता है, अन्यथा भूमियां सहखातेदारी की ही रहती हैं। विधिक विभाजन से पूर्व भूमियों को पृथक–पृथक खातेदारी की नहीं कहा जा सकता। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 706 व ए.आई.आर. 1994 सुप्रिम कोर्ट पेज 1653 प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें जमाबन्दियों को वित्तीय प्रविष्टि माना जाता है, वर्णित किया गया है। हम इन न्यायिक नजीरों का सम्मान करते हैं, परन्तु यहां पर जमाबन्दी की प्रविष्टियों में विरासत के आधार पर जमाबन्दियों में दर्ज खातेदारों को अविधिक माने जाने का कोई आधार नहीं है। अर्थात जमाबन्दिों में की गयी प्रविष्टियों को त्रुटि पूर्ण माने जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है, क्योंकि इन जमाबन्दियों में प्रविष्टियों के खण्डन में कुछ भी नहीं होने के आधार पर चतरसिंह की विरासत में उनकी पुत्रियां रेकार्डेड सहखातेदार दर्ज हैं, जिसे त्रुटि पूर्ण माने जाने का कोई आधार नहीं है तथा भूमियां सहखातेदारी की नहीं हो, इसका भी काई विधिक आधार नहीं है। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 905, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1141, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 427, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 720, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 1236 आर.आर. टी. 2007 (2) पेज 947 प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें यह वर्णित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रकरण को निस्तारित करते समय वाद के कथनों को ही देखा जाना चाहिए तथा जहां प्रश्न, तथ्यों एवं विधि का हो वहां आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलान्ट/वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है तथा प्रकरण में यह व्यक्त स्थिति है कि पक्षकारान सहखातेदार हैं तथा वादी सहखातेदार के विरूद्ध विभाजन कराये बिना कतिपय विशिष्ट भूमियों को अपनी मानकर (बिना विधिक विभाजन) अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाहता

है, जो विधिक नहीं है। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2010 (2) 814 प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद उससे विमुख जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा सम्बन्धित स्टाम्प्ड होता है। इस प्रकरण में यदि उक्त दस्तावेज को सही भी माना जाये तो भी उक्त दस्तावेज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त दस्तावेज के आधार पर किसी एक सहखातेदार को स्पेशिफिक या विशिष्ट खसरा नंबर का खातेदार नहीं माना जा सकता, जब तक कि विधिवत विभाजन नहीं हो जाये। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 609 प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि किसी खातेदार को अन्य प्रकरण में धारा 91–ए तथा 92–ए के तहत स्थाई निषेधाज्ञा दी जा सकती हैं इस प्रकरण में स्पष्टतया वादी/अपीलान्ट द्वारा सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है, जिसके लिए वह विधिक रूप से अधिकृत नहीं है, जब तक कि विधिवत विभाजन नहीं हो जाये। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार समग्र न्यायिक नजीरें इस प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं तथा इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी के तहत विधि विरूद्ध मानकर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दूल्हासिंह चुण्डावत पिता स्व.चतरसिंह राजपूत, निवासी शोभजी का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर बनाम **रामसिंह चुण्डावत पिता स्व.चतरसिंह राजपूत, निवासी शोभजी का खेड़ा, तह. मावली जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**70 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**04**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**09**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दूल्हासिंह चुण्डावत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अरूण व्यास**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**09**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।